निर्णय ब इजलास कुन्तल विश्नोई आर.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय), जयपुर

प्रकरण सख्या 4/2024 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

सुलतान सोनी पुत्र श्री भगवानाराम 11/1336 सेक्टर 11 मालवीय नगर।

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय **दिनांक 24.10.2024**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि सुलतान सोनी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 02.09.2024 को राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर के नाम आवेदन मय शुल्क प्रेषित कर निम्नलिखित सूचना चाही गयी–

   (अ) भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर, जयपुर के आदेश विविध/2024/759 दिनांक 27.08.2024, जिसमें पुलिस ईमदाद का आदेश दिया गया सुरेन्द्र शर्मा को ग्राम कूकस के ख0न0 1205 से 1208, 1193 रकबा 2.78 है की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपि।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। दिनांक 10.10.2024 को संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी उपस्थित है।

3. हमने प्रार्थी के सूचना के अधिकार के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी आमेर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा जिसमें चाही गई बिन्दूवार सूचना दस्तावेजी सूचना चाहने हेतु अंकित किया गया है। प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, आमेर, जयपुर की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही आज दिनांक तक कोई जवाब प्राप्त हुआ है। उक्त से स्पष्ट है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है अथवा वांछित सूचना उपलब्ध करवाने संबंधी सबूत पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अपील का निस्तारण उपखण्ड अधिकारी आमेर को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क तत्काल उपलब्ध करावें तथा भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में निर्दिष्ट नियमों में निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध कराई जावे।

4. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

5. निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

24.10.24

(कुन्तल विश्नोई)
अपीलीय अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर (तृतीय),
जयपुर।